बिहार स्टेट पावर(होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना

(निबंधित कार्यालय–विद्युत भवन, बेली रोड, पटना)

कार्यालय आदेश संख्या–786, पटना/ H-III/APP-COMPASSIONATE-1003/13 दिनांक 08/8/2013

बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के निदेशक मंडल की 28 वीं बैठक में संकल्प संख्या–28–10 द्वारा पारित प्रस्ताव के आलोक में बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी एवं इसके अनुषंगी कंपनी यथा बिहार बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर ट्रांशमिशन कम्पनी लिमिटेड, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड में अनुकम्पा नियुक्ति संबंधी निदेश :–

क) i. न्यूनतम स्नातक योग्यता रखने वाले आश्रितों को तृतीय श्रेणी के गैर तकनीकी पदों के न्यूनतम वेतनमान वाले पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त प्रबंधन द्वारा एक लिखित परीक्षा भी ली जायेगी, जिसमें उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। पद एवं न्यूनतम वांछित योग्यता निम्नवत् होना अनिवार्य होगा–

क्र0सं0	पद	न्यूनतम वांछित योग्यता
1	कनीय लेखा सहायक	वाणिज्य में स्नातक
2	कनीय सहायक	किसी भी विषय में स्नातक योग्यता

ii. आवेदक अगर निर्धारित तकनीकी योग्यता रखते हो तो उन्हें Jr. Lineman/ Jr. Tech./ Jr. Operator के रिक्त पद पर भी नियुक्त किया जा सकेगा। इसमें भी लिखित/व्यवहारिक परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

iii. उपर्युक्त क्रमांक 1 पर नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष के अंदर CCC कोर्स उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। अनुत्तीर्ण होने की स्थिति में वार्षिक वेतन वृद्धि बाधित रहेगी।

iv. स्नातक से कम योग्यता रखने वाले आश्रितों को Unskilled Worker के पद पर नियुक्ति की जायेगी।

उपर्युक्त नियुक्ति में नई भर्ती नियमावली (New Recruitment Policy) लागू होगी। यह नियुक्ति प्रावधान पूर्व बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में पुरानी भर्ती नियमावली के अंतर्गत विद्युत कर्मियों के आश्रित हेतु लागू होगा। नयी भर्ती नियमावली में नियुक्त कर्मियों के आश्रितों के मामले में अलग से निर्णय लिया जायेगा।

ख) बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर ट्रांशमिशन कंपनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में मुख्यालय स्तर पर अनुकम्पा समिति का गठन किया जायेगा। अनुकंपा नियुक्ति हेतु संबंधित क्षेत्रीय स्तर से अनुशंसा विद्युत अधीक्षण अभियंता/उपमहाप्रबंधक स्तर से सीधे कंपनी मुख्यालय के संबंधित प्रशाखा के प्रभारी पदाधिकारी को प्राप्त होगें। संबंधित पदाधिकारी जांचोपरांत मामले को अनुकंपा समिति की बैठक में अनुशंसा हेतु प्रेषित करेंगे। अनुकम्पा समिति का गठन निम्नरूपेण किया जायेगा :–

i. महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0) – अध्यक्ष

ii. उपमहाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0) – सदस्य सचिव

iii. उपमहाप्रबंधक/वरीय प्रबंधक (वित्त एवं लेखा) – सदस्य

iv. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के प्रतिनिधि (अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक द्वारा नामित) – सदस्य

v. उपमहाप्रबंधक संबंधित विद्युत आपूर्ति क्षेत्र (क्षेत्रीय कर्मियों के लिए) – विशेष आमंत्रित सदस्य